

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई०एल०आर०
 सदन में जांच की गई। जिसके अनुसार
 967/2021
 194
 194
 21/11/2021
 पत्रिका-भो...

क्रमांक : राजस्व/2020/
 दिनांक :-
 मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निर्घेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिराया की जाती है /

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिता मुसुनू (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 21/11/21
 प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र, पत्रायली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्यत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
2	डुडीनगा	2075-78	194	पुपु पुत्र मारु	राहिताश पुत्र मारु राम
2	बादवालोडा	2075-78	135	जामि जाट	राहिताश पुत्र मारु राम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

पुपु पुत्र मारु तथा राहिताश पुत्र मारु राम
 राहिताश पुत्र मारु राम
 जामि जाट

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक :- 21/11/21

क :- राजस्व/2020/725-26
 लेपि :-
 1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
 2. प्रार्थी/प्रार्थीया



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी